



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10082021-228880
CG-DL-E-10082021-228880

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 326]
No. 326]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 10, 2021/श्रावण 19, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 10, 2021/SHRAVANA 19, 1943

अनुलग्नक-I

भारतीय भेषजी परिषद्
(भेषजी अधिनियम 1948 के अंतर्गत गठित)

कार्यकारिणी आदेश

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2021

संदर्भ सं. 17-1/2019-पी.सी.आई./2242-48.—“भेषजी अधिनियम 1948 की उपधारा 15 की आवश्यकतानुसार उपधारा 12 के अंतर्गत भारतीय भेषजी परिषद् ने केन्द्रीय परिषद् की निम्नलिखित गोष्ठियों में जो प्रस्ताव पारित किये हैं घोषणा करती है कि सभी स्टेकहोल्डरस जैसे संस्थान, परीक्षा प्राधिकरण, साधारण जनता, विद्यार्थी इत्यादि” की सूचना हेतु परिषद् की वेबसाइट पर डाले गये हैं

क्रम संख्या

गोष्ठी संख्या

गोष्ठी की तिथि

1.

110

11 दिसम्बर 2020

2.

111

6 और 7 अप्रैल 2021

3.

112

10 जून 2021

अर्चना मुदगल, निबन्धक-एवं-सचिव
[विज्ञापन-III/4/असा./192/2021-22]

Annexure-I

PHARMACY COUNCIL OF INDIA

(constituted under the Pharmacy Act, 1948)

EXECUTIVE ORDER

New Delhi, the 30th July, 2021

Ref. No.17-1/2019-PCI/2242-48.—“As required under section 15 of the Pharmacy Act, 1948, the declarations under section 12 made by resolutions passed at the following meetings of the Central Council are posted on Council’s website for information of all the stakeholders i.e institutions, Examining Authorities, general public, students etc.”

S.No.	Meeting No.	Date of meeting
1.	110	11 th December, 2020
2.	111	6 th & 7 th April 2021
3.	112	10 th June 2021

ARCHNA MUDGAL, Registrar-cum-Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./192/2021-22]